

5907/17


2-10-15

भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



V उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616820



(1)

विकायपत्र

बैनामा विकीधन - 5800000 रु0

सरकारी मालियत - 5822000 रु0

स्टाम्प - 291100 रु0

रेट - 6300000 रु0 प्रति हेक्टेयर

मूमि का प्रकार - कृषि मूमि

मौजा - फरीदपुर परगना व जिला औरेया

हम कि श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री विश्वनाथ सिंह व रंजीत प्रताप सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह जाति ठाकुर निवासीगण मुहल्ला सत्तोश्वर औरेया परगना

कमलेश

रंजीत प्रताप सिंह

विश्वनाथ

भारतीय नौन्याधिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616819

(2)

व जिला औरेया प्रथमपक्ष व स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति बरम्हपुर परगना व जिला औरेया द्वारा प्रबन्धक विश्वनाथ सिंह पुत्र स्व० गुलाब सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरम्हपुर परगना व जिला औरेया द्वितीयपक्ष के हैं

कम्ले वा

रंजीत उताप निटे

विश्वनाथसर्फ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616818

(3)

बाजै हो कि रकवा 1.732 हेक्टेयर नम्बरी 339 लगानी भूमिघरी 80.00 रु० सालाना का अपना कुल 0.924 हेक्टेयर स्थित मौजा फरीदपुर परगना व जिला औरेया जो ममलूका मकावूजा हम प्रथमपक्ष की खरीदकर्दा दिनांक 08.09.2015रु०

अमले २।

अंजीत प्रगति

प्रश्न नाम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616817

(4)

सम्पत्ति है जो कि हर प्रकार के वार से पाक व साफ है व कीमत बाजार भाव से मिल रही है। अतः स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता पूर्वक विला किसी दीगर दबाव के पूर्ण होश व हवाश में उक्त रकवा 1.732 हेक्टेयर का अपना कुल 0.924 हेक्टेयर

~~आमंत्रण~~

~~रजीत कुलपति~~

~~बिल्लू नाथपाटी~~

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616816

(5)

को बिल एवज मुवलिग 5800000 रु० (अदठावन लाख रु०) में बदस्त स्व
गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति वरम्हूपुर परगना व जिला औरैया द्वारा प्रबन्ध
विश्वनाथ सिंह पुत्र स्व० गुलाब सिंह निवासी ग्राम वरम्हूपुर परगना व जिला

लक्ष्मण

रंजीत पुराण

विष्वनाथ



भारतीय ग्रेर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616815

(6)

औरेया द्वितीयपक्ष को वै कतई करके कछा व दखल उक्त भूमि पर द्वितीयपक्ष का करा दिया अब उक्त रकवा में कोई हक हमारा व हमारे वारिसान आदि का शेष नहीं रहा और न आइन्दा होगा। जरेसमन में 2900000 रु० जरिये चैक

अभ्यर्ता



रंजीत चतुष्पाटि



विवरण, रु०



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616814

(7)

संख्या 002995 बैंक आफ इण्डिया शाखा औरेया दिनांक 11.09.2017 से कमलेश
कुमारी को व 2900000 रु० जरिये चैक संख्या 002994 बैंक आफ इण्डिया
शाखा औरेया से रंजीत प्रताप सिंह ने दिनांक 11.09.2017 को द्वितीयपक्ष से

अप्रैल २०

रंजीत प्रताप सिंह

विश्वनाथ AD



भारतीय गोरन्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616813

(8)

प्राप्त कर लिये अब मुझ प्रथमपक्ष का उक्त द्वितीयपक्ष पर कुछ पावना शेष न रहा और न आइन्दा होगा। उक्त जायदाद का दाखिल खारिज द्वितीयपक्ष संस्था उक्त का स्वयं करा लेवे हम प्रथमपक्ष को कोई एतराज न होगा। उक्त भूमि

अमलरा

रंजीत प्रसापी

विश्वनाथ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616812

(9)

पेड, ट्यूबवेल, जिन्स रहित तथा 200 मीटर की त्रिज्या में कोई आवादी व सड़क नहीं है उक्त भूमि की मालियत सरकारी रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या 61 कम संख्या 272 के कालम 12 के अनुसार रेट 6300000 रु0 प्रति हेक्टेयर की दर से उक्त भूमि की मालियत 5822000 रु0 आती है उसी पर स्टाम्प व फीस

અમલક



સુરત કાવ્યાલિ



कृष्णनाथ



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 616811

(10)

की अदायगी की गई है। आयकर अधिनियम की धारा 269 S.S. प्रभावी दिनांक 1 जून 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत विकेता ने विकीर्णन प्राप्त कर लिया है। स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत विलेख में पूर्ण व सही तथ्य

स्टम्पलेट



रंजीट कुहापति



विष्वनाथ



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 802323

(11)

उल्लिखित कर दिये गये हैं जो स्टाम्प देयता को प्रभावित करते हैं और कोई तथ्य छिपाये नहीं गये हैं। केता व विकेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं। अतः यह वैनामा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक में कतई लिख दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे –

रामलैला

अंजीत उत्तापनिदेव विश्वनाथराम



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 802330

(12)

—लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण —

1. भूमि का प्रकार — वृष्टि
2. वार्ड/परगना — औरेया
- 3- मोहल्ला/ग्राम — फरीदपुर परगना व जिला औरेया
4. सम्पत्ति का विवरण (सं0नं0) — गाटा नम्बर 339

प्रमाणित



रंजीत चतुर मिं



विष्णु गुप्ता



भारतीय गैर-न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 802331

(13)

5. मापन की इकाई — हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.924 हेक्टेयर
7. सङ्क की स्थिति — परिशिष्ठ के अनुसार
8. अन्य विवरण — x
9. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि भूमि

बामलौरा



रंजीत पुराणीहं



विजय गोप्ता

